

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक / / 2019

संख्या-2/एल०-19/2019- /स्वा०, डा० (श्रीमती) अदिति, सीनियर रेजिडेन्ट सम्प्रति विशेषज्ञ चिकित्सक, रेडियोलॉजी विभाग, वर्द्धमान आर्युविज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा के द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-19.01.2016 से 17.07.2016 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश संबंधी आवेदन जो प्राचार्य, वर्द्धमान आर्युविज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा का पत्रांक-743 दिनांक-09.09.2016 द्वारा अनुशंसित है के आलोक में उक्त अवधि को मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. यह अवकाश वित्त विभागीय अधिसूचना ससंख्या-640 दिनांक-19.1.2015 के आलोक में स्वीकृत किया गया है।

3. स्वास्थ्य विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-888(5) दिनांक-11.7.2018 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-2/एल०-19/2019- 960(2)

पटना, दिनांक 15/04/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) बिहार, पटना/ प्राचार्य, वर्द्धमान आर्युविज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/ डा० (श्रीमती) अदिति, सीनियर रेजिडेन्ट सम्प्रति विशेषज्ञ चिकित्सक, रेडियोलॉजी विभाग, वर्द्धमान आर्युविज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15/4/19
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

H.K